



भारत का स्थायी मिशन

drishtiias.com/hindi/printpdf/india-permanent-mission

प्रीलिम्स के लिये:

स्थायी मिशन

मेन्स के लिये:

संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी मिशन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार द्वारा राजनयिक (Diplomat) टी एस तिरुमूर्ति (T S Tirumurti) को संयुक्त राष्ट्र (The United Nations) में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र का स्थायी मिशन:

स्थायी मिशन वह राजनयिक मिशन है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य राज्य द्वारा अपना एक स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया जाता है। इस स्थायी प्रतिनिधि को 'संयुक्त राष्ट्र का राजदूत' (UN Ambassador) भी कहा जाता है।

वियना सम्मेलन के अनुसार स्थायी मिशन:

वियना सम्मेलन का अनुच्छेद 1(7) जो कि सार्वभौमिक चरित्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताता है के अनुसार, एक स्थायी मिशन वह है जिसकी निश्चित विशेषताएँ होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राज्य का प्रतिनिधित्व करता हो तथा जिसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सदस्य राज्यों द्वारा प्रतिनिधित्व के तौर पर भेजा जाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार स्थायी मिशन:

संयुक्त राष्ट्र महासभा के संकल्प 257 (III), के अनुसार, 3 दिसंबर 1948 को 'स्थायी मिशन' पद को इस प्रकार संबोधित किया-

- ऐसे स्थायी मिशनों की उपस्थिति संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों की प्राप्ति में सहायक है।
- इस प्रकार के मिशन विशेष रूप से, सदस्य राज्यों और सचिवालय के विभिन्न अंगों के सत्रों के बीच की अवधि में आवश्यक संपर्क बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन:

- वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में अवर सचिव जनरल (Under Secretary General) और सहायक महासचिव (Assistant Secretary General) के वरिष्ठ पदों पर आठ भारतीय नियुक्त हैं।
- संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर राजनेता अर्कोट रामासामी मुदलियार तथा स्वतंत्रता सेनानी हंसा मेहता, विजयलक्ष्मी पंडित और लक्ष्मी मेनन कार्य कर चुके हैं।
- हंसा मेहता और विजयलक्ष्मी पंडित भारतीय संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों में से एक थीं।

टी एस तिरुमूर्ति-

- ये वर्ष 1985 बैच के भारतीय विदेश सेवा (Indian Foreign Service) के अधिकारी हैं।
- टी एस तिरुमूर्ति की नियुक्ति सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है।
- वर्तमान समय में ये विदेश मंत्रालय में सचिव के तौर पर कार्यरत हैं।

संयुक्त राष्ट्र-

- संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- इसकी स्थापना 24 अक्टूबर, 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार-पत्र के माध्यम से की गई थी।
- इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा मानव अधिकारों की सुरक्षा के साथ-साथ विश्व शांति स्थापित करने के लिये कार्य करना है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस
